



उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:mel-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/DRG/LST-26/NGP

दिनांक -26/9/2019

प्रेषित- श्री बी.एल.भाटी, महाप्रबंधक

सर्वश्री जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,

पोस्ट – अहिरवारा, तहसील – धमधा,

जिला.दुर्ग (छत्तीसगढ़) – 490036

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी सेमरिया चूना पत्थर खदान 267.695 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 20.09.2019 by undersigned accompanied by Shri B.L.Bhati, GM(Mines) & Shri V.K.Singh, Mining Geologist.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दुर्ग / चूप /खयो-355/नागपुर/2016/31-रायपुर dated 21.07.2016 and following deviation was observed during inspection 1. There is no proposal of stacking of subgrade material in mine but during mine visit it was observed and also reflected in updated plan that sub grade material is generated and stack. The information about subgrade material is not furnished in Annual return of 2018-19. 2. In the document it is proposed to generate OB/IB/SB of 35368/year from 2016-17 to 2018-19 but during mine visit it was observed there is no separate OB/IB/SB dump and OB is mixed with either Subgrade material or top soil.
45(5)(c) (i)	During the scrutiny of Annual return for 2018-19 it was observed that cost of production and Ex-mine price is furnished Rs242/- whereas while scrutiny of Monthly returns for the financial year 2018-19 it was observed that Ex-mine price given from Dec'18 to march'19 is Rs242/- and from Aug'18 to Nov'18 it is furnished Rs238/- and from April'18 to July'18 is Rs 237/-. Therefore the overall Ex-mine price should be less than Rs242/-.

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवम 45(7)(क) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

